भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 967
26 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष योजनाओं का क्रियान्वयन

967. श्री नीरज डांगी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में सरकार द्वारा कितनी आयुष योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित की जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय 'केंद्रीय क्षेत्रक' और 'केंद्रीय प्रायोजित योजना' श्रेणियों के तहत देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

1. केंद्रीय प्रायोजित योजना
    I. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना
    I. आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)
    II. चिकित्सा मूल्य यात्रा हेतु चैम्पियन सेवाएं क्षेत्रक स्कीम
    III. आयुर्ज्ञान
    IV. आयुर्स्वास्थ्य योजना
    V. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)
    VI. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु स्कीम
    VII. आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन

(ख): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनके संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार और एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएएम स्कीम के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता, राज्य-वार **संलग्नक-I** पर दी गई है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता केवल 'औषधीय पादपों के संरक्षण विकास और सतत प्रबंधन की स्कीम' के तहत प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **संलग्नक-II** पर दिया गया है। पिछले 3 वर्षों में सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता **संलग्नक-III** पर दी गई है।

(ग): उक्त योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जा रहा है और विवरण इस प्रकार है:-

- राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, इसे 2021-22 से 2025-26 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।
- चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिए लागू की गई थी।
- आयुर्ज्ञान की केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।
- आयुर्स्वास्थ्य योजना की केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।
- आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा 16.03.2021 को पांच वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।

****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक जारी कुल धनराशि (केंद्रीय हिस्सा)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	365.418	251.808	296.061	913.286
2	आंध्र प्रदेश	1900.594	385.402	0.000	2285.996
3	अरुणाचल प्रदेश	383.330	678.090	180.850	1242.270
4	असम	1601.322	347.150	639.520	2587.992
5	बिहार	2661.298	516.535	1686.077	4863.910
6	चंडीगढ़	0.000	195.808	94.864	290.672
7	छत्तीसगढ़	0.000	2691.066	841.309	3532.375
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	63.854	0.000	0.000	63.854
9	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000
10	गोवा	118.651	65.988	218.988	403.627
11	गुजरात	2229.691	244.011	466.926	2940.628
12	हरियाणा	2299.475	3034.422	647.702	5981.599
13	हिमाचल प्रदेश	2045.892	494.940	1261.800	3802.632
14	जम्मू और कश्मीर	1848.539	2285.751	1313.105	5447.395
15	झारखंड	1522.312	0.000	1309.765	2832.077
16	कर्नाटक	1791.709	2184.371	1821.460	5797.540
17	केरल	1540.535	2337.588	1153.388	5031.511
18	लक्षद्वीप	426.878	19.605	64.257	510.740
19	मध्य प्रदेश	4012.347	5608.633	3123.198	12744.178
20	महाराष्ट्र	4308.643	0.000	0.000	4308.643
21	मणिपुर	907.075	571.720	170.040	1648.835
22	मिजोरम	199.510	657.730	259.080	1116.320
23	मेघालय	348.210	247.970	609.780	1205.960
24	नागालैंड	950.580	1254.890	232.270	2437.740

25	ओडिशा	726.096	716.640	1075.380	2518.116
26	पुद्दुचेरी	238.416	47.667	200.273	486.356
27	पंजाब	1155.493	89.770	527.280	1772.543
28	राजस्थान	1987.595	2276.400	3189.000	7452.995
29	सिक्किम	330.593	350.440	99.300	780.333
30	तमिलनाडु	1993.913	616.580	2348.268	4958.761
31	तेलंगाना	934.178	0.000	3132.252	4066.430
32	त्रिपुरा	0.000	270.080	138.710	408.790
33	उत्तर प्रदेश	7923.690	10373.858	13809.724	32107.272
34	उत्तराखंड	825.340	656.458	2622.504	4104.302
35	पश्चिम बंगाल	1849.740	247.346	2118.045	4215.131
36	लद्दाख	0.000	0.000	187.454	187.454
	कुल	**49490.917**	**39718.716**	**45838.630**	**135048.263**

संलग्नक II

पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन की स्कीम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	349.05	231.33	26.78
2	अरुणाचल प्रदेश	5.00	8.53	29.13
3	असम	188.72	90.50	279.59
4	बिहार	0.00	24.19	0.00
5	छत्तीसगढ़	106.55	26.95	94.50
6	दिल्ली	310.61	184.80	51.65
7	गोवा	30.83	0.00	0.00
8	गुजरात	169.99	554.05	636.37
9	हरियाणा	0.00	296.28	35.44
10	हिमाचल प्रदेश	246.87	119.45	128.77
11	जम्मू और कश्मीर	157.68	50.24	183.32
12	झारखंड	6.73	0.00	2.40
13	कर्नाटक	86.26	159.58	527.65
14	केरल	224.88	238.35	194.38
15	मध्य प्रदेश	87.49	118.37	127.62
16	महाराष्ट्र	266.41	246.36	99.88
17	मणिपुर	377.25	134.48	27.70
18	मेघालय	20.00	0.00	0.00
19	मिजोरम	55.00	99.59	212.30
20	नागालैंड	0.00	24.00	25.00
21	ओडिशा	35.21	40.60	61.25
22	पंजाब	295.12	37.58	26.26
23	राजस्थान	375.94	147.26	24.40
24	सिक्किम	281.89	4.20	66.22
25	तमिलनाडु	94.35	228.37	161.31
26	तेलंगाना	361.05	126.39	37.12
27	त्रिपुरा	120.00	261.39	25.00
28	उत्तराखंड	237.59	65.78	51.22
29	उत्तर प्रदेश	140.88	88.45	404.53
30	पश्चिम बंगाल	214.79	177.61	154.02
31	अंडमान और निकोबार	0.00	15.00	0.00
32	चंडीगढ़	0.00	15.32	28.00
33	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	26.17
35	पांडिचेरी	0.00	5.00	21.40
36	लद्दाख	0.00	27.00	0.00
कुल		**4846.14**	**3847.00**	**3769.38**

संलग्नक III

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत, प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएं	2019-20			2020-21			2021-22		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केंद्रीय क्षेत्र योजना										
1	सूचना, शिक्षा और संचार	52.60	44.50	43.34	44.50	22.70	20.93	46.20	34.84	30.04
2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	16.00	22.37	29.99	25.00	43.00	43.86	38.60	73.94	62.94
3	चिकित्सा मूल्य यात्रा हेतु चैंपियन सेवाएं क्षेत्र स्कीम	50.01	0.00	0.00	21.20	15.00	12.53	150.00	29.63	19.13
4	आयुर्ज्ञान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	4.49
5	आयुर्स्वास्थ्य योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52	35.00
6	आयुष गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.77
7	औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	31.30
	कुल	**118.61**	**66.87**	**73.33**	**90.70**	**80.70**	**77.32**	**234.80**	**226.68**	**184.67**